न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 259/2023

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. गुरपाल कौर पुत्री दल सिंह पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू हाल निवासी पंजाब। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 08.08.2023

उपस्थित: स्वंय वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक : 08.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 52/50 में 0.512 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादिया का नाम सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह दर्ज है। जबकि वादिया का सही नाम गुरपाल कौर पुत्री दल सिंह पत्नी मन्दर सिंह है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम गुरपाल कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3400 दिनांक 15.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी के खाता संख्या 52 में सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह के नाम 0.512 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया विवाह उपरान्त पंजाब में निवास कर रही है। जहां पर उसका नाम गुरपाल कौर पत्नी मन्दर सिंह रख लिया है व अपने समस्त दस्तावेजात उक्त नाम से बनवा रखे है। अब वादिया अपने दस्तावेजो के अनुसार ही जमाबंदी में नाम परिवर्तन करवाना चाहती है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः दुरूस्ती की जानी उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 52/50 की [illegible] पेन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट [illegible] वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 [illegible] भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 [illegible] क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखपाल [illegible] स्थान पर गुरपाल कौर पुत्री दल सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम गुरपाल कौर दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी के खाता संख्या 52 में सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह के नाम 0.512 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया विवाह उपरान्त पंजाब में निवास कर रही है। जहां पर उसका नाम गुरपाल कौर पत्नी मन्दर सिंह रख लिया है व अपने समस्त दस्तावेजात उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:17 IST
Reason: SelfAttested

नाम से बनवा रखे है। अब वादिया अपने दस्तावेजो के अनुसार ही जमाबंदी में नाम परिवर्तन करवाना चाहती है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः दुरूस्ती की जानी उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर एक ही महिला के दो नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत झौड तहसील मलोट, जिला मुक्तसार साहिब के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर एक ही महिला के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादिया, शपथ पत्र वादिया, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर, सरपंच ग्राम पंचायत झौड तहसील मलोट, जिला मुक्तसर साहिब के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**–:आदेश:–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 52/50 में क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह के स्थान पर गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:17 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
गुरपाल कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 259/2023
**निर्णय दिनांक :- 08.08.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 52/50 में क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह के स्थान पर गुरपाल कौर उर्फ सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 08.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| **योग** | 02 | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 08.08.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/438
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर. पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:48:17 IST
Reason: SelfAttested